an>

Title: Need to reinstate the Shiksha Mitras who were rendered jobless due to an order of Hon'ble High Court of Allahabad.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत लोकमहत्व और तात्कालिक प्रश्न पर अपनी बात करने की अनुमति प्रदान की है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश और देश में पैरा-टीचर के रूप में दूरस्थ या जो रिमोट एरियाज में स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने के लिए नियुक्तियाँ हुई। उत्तर प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार वे टीचर जो पिछले 15 वÂ◌ा◌ा◌ॅं से लगातार ऐसे स्कूलों में, जहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं थे, ये शिक्षा मित्र् के रूप में अनवरत पढ़ाने का काम कर रहे थे। जो 1:40 छात्र् और अध्यापक का रेश्यो होना चाहिए, वह उन्हीं के द्वारा, उन विद्यालयों में, जो बेसिक शिक्षा परिÂ◌ाद के या गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें वे उस रेश्यो को मेंटेने करने का काम कर रहे थे और स्कूल को भी चलाने का काम वहीं कर रहे थे। उनको वÂ◌ाó 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद, जिसमें यह हुआ कि अब अध्यापक वही होगा, जो टीचर्स इल्लिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा। वÂ◌ाó 2009 के पहले जो भारत सरकार का एचआरडी मंत्रालय है, एनसीटीई ने इन एक लाख सत्तर हजार टीचर्स को छूट दी कि अगर ये अप्रशिक्षित हैं तो ये डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से दो साल का कोर्स कर लें। इन्होंने दो साल का कोर्स किया। एक बार साठ हजार टीचर्स ने कोर्स किया, एक बार नब्बे हजार टीचर्स ने कोर्स किया। वे प्रशिक्षित हैं। भारत सरकार के एचआरडी मंत्रालय ने उनको छूट देकर, उन्होंने टीईटी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद विगत दिनों हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ, जिसमें उन एक लाख सत्तर हजार टीचर्स को रिमूव कर दिया गया। पूरे प्रदेश में वे एक लाख सत्तर हजार परिवार 14-15 वÂ◌ा◌ा◌ॅं से शिक्षक के रूप में, सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। आज वे भुखमरी के कगार पर हैं, आज उनके सामने अंधकार है और उनका भविÂय भी अंधकारमय है।

मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि एनसीटी ने फिर एक पत्र् दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को और यहाँ से एक चिट्ठी गई है कि ये जो शिक्षामित्र् उत्तर प्रदेश में थे, इनको एक्ज़ैम्प्ट किया जाता है क्योंकि इन्होंने प्रशिक्षण भी डिस्टैन्स लर्निंग से प्राप्त कर लिया। इनकी रैगुलर टीचर के रूप में सहायक अध्यापक की नियुक्ति हो गई है, इसलिए इनको समायोजन टीचर के रूप में रखना चाहिए। इस चीज़ को लेकर राज्य सरकार अभी एस.एल.पी. में जा रही है। मेरा कहना है कि अगर आठ महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है तो एक निर्देश होना चाहिए कि हमारे शिक्षा मित्र् का जो बुनियादी शिक्षा का ढाँचा है, और जो पूरे प्रदेश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके सामने जो अनिश्चय की स्थिति आ गई है, उस स्थिति से बचा जा सके और यह जो सहायक शिक्षक रेगुलर के रूप में 1लाख 70 हज़ार नियुक्त हो गए हैं, इनको यथावत् रखा जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri P.P.Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.